कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 72/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना: सिधारी, जनपद: आजमगढ़

06 चोरी के मोबाइल फोन (कीमत लगभग 04 लाख रूपयें) के साथ शातिर अंतर्जनपदीय मोबाइल चोर गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना सिधारी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 21.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 शम्भू यादव व का0 धनंजय राय द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलईसा ओवरब्रिज के नीचे समय लगभग 01:30 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी के 06 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. शेखर महतो **पुत्र** गोलकिया महतो **निवासी:** महराजपुर, थाना तालझारी, जिला साहेबगंज (झारखंड) **उम्र:** 26 वर्ष

अभियुक्त को अंतर्गत धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ पूछताछ / अपराध करने का तरीका

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी जेब, बैग या हाथ में रखे मोबाइल पर नजर रखता था।

अभियुक्त भीड़ का लाभ उठाकर—

- जेब से मोबाइल निकाल लेना,
- बैग की चेन खोलकर मोबाइल चोरी करना,
- या असावधानी की स्थिति में मोबाइल लेकर भीड़ में गायब हो जाना—

जैसी तरकीबें अपनाता था।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह अन्य चोरों से भी चोरी के मोबाइल कम कीमत पर खरीदकर उन्हें आगे बेचने का कार्य करता था, जिससे उसे अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त होता था।

बरामद 06 मोबाइल फोन विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए थे, जिनके संबंध में जानकारी संकलित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

☐ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 55/26 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

□ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त शेखर महतो एक शातिर एवं आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न जनपदों में कई अभियोग पंजीकृत हैं:

1. मु0अ0सं0 47/19 धारा 379 भादवि व 41 सीआरपीसी थाना जीआरपी झांसी
2. मु0अ0सं0 266/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 267/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 462/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 464/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 01/24 धारा 34/379/411/413 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
7. मु0अ0सं0 147/24 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 305/24 धारा 3(5)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 306/24 धारा 3(5)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ
10. मु0अ0सं0 448/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
11. मु0अ0सं0 55/26 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त एक सक्रिय एवं आदतन मोबाइल चोर है, जो विभिन्न जनपदों में अपराध कर चुका है।

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. राकेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना सिधारी, आजमगढ़
2. हे0का0 शम्भू यादव, थाना सिधारी, आजमगढ़
3. का0 धनंजय राय, थाना सिधारी, आजमगढ़

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं सतत अभियान जारी है।